न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 09/2016

प्रार्थी		अप्रार्थी
भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर	बनाम्	खेराजराम पुत्र निम्बाराम जाति जाट (गुरलिया) निवासी गांव लूखू तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी स्वयं।

निर्णय दिनांक 08.042017

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 09.11.2015 को प्राः 9.00 बजे प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पुलिस थाना गुड़ामालानी से दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि गांधवपुल पर सांचोर की तरफ जा रही एक बस में मावा परिवहन कर सांचोर ले जाया जा रहा है। जिसमें मिलावट का सन्देह होने पर पुलिस द्वारा उक्त मावे को थाने के माल खाने में रखवा गया है, जिसकी जांच हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी जरिये सरकारी वाहन से पुलिस थाना गुड़ामालानी पहुंचे। थाने में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम खेराजराम पुत्र निम्बाराम जाति जाट (गुरलिया) निवासी गांव लूखू तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर मावे का मालिक होना बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में उक्त मावे का निरीक्षण करने पर 15–15 कि.ग्रा. के 6 टीन एवं एक 50 कि.ग्रा. का प्लास्टिक का कट्टा जिसमें मीठा मावा भरा हुआ था। उक्त मावा खेराजराम आम जनता को विक्रय करने हेतु ले जा रहा था। मीठे मावे में मिलावट का सन्देह होने

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिरट्रेट बाड़मेर

पर उक्त 6 टीन में से 1 टीन को खोलकर कुल 2 कि.ग्रा. मावा खरीद कर उसका भुगतान रूपये 400/– किया गया। उक्त 2 कि.ग्रा. मावे को चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियॉ में बराबर मात्रा में भरा गया, प्रत्येक शीशी में 40–40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एंव स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी–610 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों के एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। समस्त कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–610 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि खाद्य पदार्थ मीठे मावे का नमूना पी–610 की जॉच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/982/एक्ट/2015/945 दिनांक 20.11.2015 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसमें मीठे मावे का नमूना अनसेफ होना पाया गया। अप्रार्थी के निवेदन पर मीठे मावे की पुनः जांच रेफरल लैब गाजियाबाद से करवाई गई। रेफरेल लैब गालियाबाद की जांच रिपोर्ट सी. 100/16RFL/125 दिनांक 3.2.2016 अनुसार मीठे मावे का नमूना पी. 610

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया। उक्त प्रकरण में खाध पदार्थ मीठे मावे का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.610 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का लोक अदालत की भावना से न्यूनतम जुर्माना आरोपित करते हुए निस्तारण कराने का निवेदन किया।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 9.11.2015 को पुलिस थाना गुड़ामालानी में जब्त किया गया मीठा मावा आम जनता को बेचने हेतु परिवहन कर ले जाया जा रहा था। मीठे मावे का नमूना पी–610 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया, जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर एवं गाजियाबाद से प्राप्त जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। रेफरल लेब गाजियाबाद की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा परिवहन कर ले जाया मीठे मावे का नमूना पी. 610 अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी खेराजराम द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) मीठे मावा रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थी खेराजराम पर 5000/–(अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 8.4.2017 से एक माह के अंदर– अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज तारीख 8.4.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर